

हरितावनि

अंक - 8 (खंड-ख) वर्ष : 2025 -26



भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की गृह पत्रिका



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की गृह पत्रिका हरितावनि को वर्ष 2024-25 के लिए "उत्तम पत्रिका पुरस्कार" से सम्मानित किया गया



हरितावनि

अंक-8

खंड-ख

वर्ष : 2025-26

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
की गृह पत्रिका

प्रधान संरक्षक

रबीन्द्र अग्रवाल (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जेसिंता लासरस (भा.प्र.से.)

कार्यकारी निदेशक (दक्षिण)

संरक्षक

जी. एन. राजू

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

प्रधान संपादक

प्रदीप सी जवळकोटे,

उ.म.प्र. (विधि/राजभाषा)

माया,

स.म.प्र. (सामान्य/राजभाषा)

संपादक

जी. महेश कुमार,

प्रबंधक (सा/रा.भा)

संपादक सहयोग

करिश्मा गिरी,

सहायक श्रेणी III (राजभाषा)

(पत्रिका में प्रकाशित

रचनाओं की मौलिकता का
दायित्व स्वयं रचनाकर्तों का है)

विषय सूची

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या
1. संदेश	2 -11
2. राष्ट्र निर्माण में भारतीय खाद्य निगम की अनिवार्य भूमिका	12
3. प्रकृति का संदेश	13
4. राजभाषा हिंदी: "राष्ट्रीय एकता और प्रशासन की सशक्त धुरी"	14
5. माँ	15
6. रिश्तेदारी का नीतिशास्त्र	16
7. अपशिष्ट न्यूनीकरण : सोच में बदलाव ही असली समाधान	17
8. बेटी	18
9. हम्पी- समय यात्रा	19-21
10. भारतीय खाद्य निगम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का तकनीकी रूपांतरण	22-24
11. शीर्षक: "राजभाषा हिंदी"	25
12. फूड एडिटिक्स, अपमिश्रण और पैकेजिंग: आपकी खाद्य सुरक्षा हेतु एक त्वरित गाइड	26-30
13. पश्चिम एशिया का संकट: इज़राइल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध	31-32
14. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत	33
15. हिंदी दिवस रिपोर्ट	34



रविन्द्र अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम
(मुख्यालय, नई दिल्ली)



संदेश

यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद राजभाषा कार्यान्वयन के अनुक्रम में अपनी गृह पत्रिका "हरितावनि" के अष्टम अंक का प्रकाशन कर रहा है।

भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें अत्यंत गहरी और प्राचीन हैं और एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने में, राजभाषा हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की मज़बूत पहचान है।

सरलता, सहजता और बोधगम्यता, हिन्दी की वास्तविक और स्वाभाविक शैली हैं। आवश्यकता है कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु सभी कार्मिक न सिर्फ संवेदनशील बनें, बल्कि राजभाषा के प्रति अपने दायित्वों को भी पहचानें।

मैं इस अवसर पर कार्यालय के सभी कार्मिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस अंक के प्रकाशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और पत्रिका की सफलता की कामना करता हूँ।

(रविन्द्र अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



जेसिंता लासरस
कार्यकारी निदेशक(दक्षिण)
आंचलिक कार्यालय,चेन्नई



संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत गृह पत्रिका "हरितावनि" के अष्टम अंक का प्रकाशन कर रहा है

भाषा किसी भी राष्ट्र की संस्कृति की आत्मा होती है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, फिर भी भारतीय संस्कृति हम सभी को जोड़ती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना बहुत आसान है। हिंदी को एक सेतु के रूप में देखा जाना चाहिए, जो विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच संवाद को सुगम बनाता है। हमें गर्व है कि हमारा राजभाषा विभाग अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।

मैं इस पत्रिका की सफलता के लिए सभी कार्मिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और उनके प्रयासों की सराहना करती हूँ।

जेसिंता

जेसिंता लासरस
कार्यकारी निदेशक(दक्षिण)
आंचलिक कार्यालय,चेन्नई



जी. एन. राजू
महाप्रबंधक (क्षेत्र)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



संदेश

हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन अपने आप में सराहनीय प्रयास है, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही हिंदी गृह पत्रिका “हरितावनि” का अष्टमअंक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है।

मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद-सिकंदराबाद द्वारा दिनांक 29.05.2025 को आयोजित 61वीं अर्द्धवार्षिक बैठक के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को राजभाषा के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु “राजभाषा ट्रॉफी” प्रदान की गई। साथ ही निगम की प्रतिष्ठित पत्रिका “हरितावनि” के सप्तम संस्करण को “उत्तम पत्रिका” के सम्मान से भी अलंकृत किया गया। यह उपलब्धियाँ हैदराबाद क्षेत्र की राजभाषा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता तथा उत्कृष्ट कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

निश्चय ही “हरितावनि” निगम की गतिविधियाँ, राजभाषा से जुड़ी कोशिशें, कर्मचारियों की साहित्यिक व रचनात्मक प्रतिभा और हिंदीमय वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

राजभाषा गृह पत्रिका "हरितावनि" के अष्टम अंक के सफल प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और “हरितावनि” की निरंतर प्रगति एवं लोकप्रियता की कामना करता हूँ।

जी. एन. राजू
महाप्रबंधक (क्षेत्र)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

राजकाज विदेशी भाषा में चलता हो, हमारे विचारों और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा हो, ऐसी स्थिति स्वराज्य में नहीं हो सकती।" - सरदार वल्लभ भाई पटेल



संजय कुमार चौधरी
उप महाप्रबंधक(क्षेत्र)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा राजभाषा हिन्दी गृह पत्रिका "हरितावानि" के अष्टम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

गृह पत्रिका "हरितावानि" के माध्यम से एक बार पुनः आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। गृह पत्रिका "हरितावानि" के अष्टम अंक को आपको सौंपते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य कार्यालय की राजभाषा गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ कर्मिकों को हिंद में अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराना भी है ताकि राजभाषा प्रचार-प्रसार बढ़े और राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। मुझे आशा है कि "हरितावानि" का यह अंक अपने इस उद्देश्य में अवश्य सफल होगा और राजभाषा के प्रचार प्रसार में आपका सहयोग पहले की तरह ही हमें मिलता रहेगा।

राजभाषा गृह पत्रिका "हरितावानि" के अष्टम अंक के सफल प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दत्त हूँ।

संजय कुमार चौधरी
उप महाप्रबंधक(क्षेत्र)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

"जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।"



चिल्ला मोहन चंद्रा
उप महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



संदेश

गृह-पत्रिका "हरितावानि"के अष्टम अंक को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

राजभाषा हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक दायित्व ही नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना भी है। हमें अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए अधिकाधिक कार्यालयी कार्य राजभाषा हिंदी में करना चाहिए। इस दिशा में पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय है। पत्रिका वह आईना है, जो हमारी भाषा, संस्कृति और समाज को प्रतिबिंबित करती है तथा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ओर मार्गदर्शित करती है।

मुझे खुशी है कि कार्मिकों के प्रयास से पत्रिका का सफल प्रकाशन संभव हो पाया है।

शीष्ट च. मोहन चन्द्र

चिल्ला मोहन चंद्रा
उप महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

"हमारी नागरी लिपी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपी है।"

---राहुल सांकृत्यायन



प्रदीप चंद्रकांत जवळकोटे
उप महाप्रबंधक (विधि/राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

संदेश

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की हिन्दी गृह पत्रिका “हरितावनि” के अष्टम अंक का प्रकाशन अत्यंत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने के बावजूद, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के सभी विभागों के सतत प्रयासों से यहाँ हिंदी के प्रयोग में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है।

यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि निगम की व्यस्ततम कार्यप्रणाली के बावजूद हिन्दी के सभी क्रियाकलापों में सभी अधिकारी/कर्मचारी शत-प्रतिशत भागीदारी निभा रहे हैं तथा “हरितावनि” इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, जो कार्यालय में हिंदीमय वातावरण का निर्माण कर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि गृह पत्रिका “हरितावनि” अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए सफलता की नई बुलंदियाँ प्राप्त करेगी और भविष्य में भी अपनी सार्थकता बनाए रखेगी।

प्रदीप

प्रदीप चंद्रकांत जवळकोटे
उप महाप्रबंधक (विधि/राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

"प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती।" - सुभाषचंद्र बोस



वेमुला श्रीदेवी
उप महाप्रबंधक(सा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यालय की गृह-पत्रिका "हरितावानि"के अष्टम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा के साथ-साथ भारत की राजभाषा भी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत देश को एकता के सूत्र में बांधती है तथा हिंदी भाषा हमारे देश के संस्कारों एवं संस्कृति का प्रतिबिंब है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का द्योतक है। देश की स्वतंत्रता में हिंदी का योगदान अद्वितीय है। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी हमारी अस्मिता की परिचायक है। इसलिए यह हमारा दायित्व है कि इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए हर संभव कार्य करें।

मैं पत्रिका "हरितावानि" के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इसके प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देती हूँ।

वी.श्रीदेवी

वेमुला श्रीदेवी
उप महाप्रबंधक(सा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

"सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपी आवश्यक है तो वो देवनागरी ही हो सकती है।"

-- जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर



अमोल वसंतराव सदानन्दे
उप महाप्रबंधक (सा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



संदेश

यह अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा राजभाषा हिन्दी गृह पत्रिका "हरितावनि" के अष्टम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

"हरितावनि" केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि हमारे कार्यालय की राजभाषा प्रतिबद्धता, सृजनात्मकता एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सजीव प्रतीक है। इसके माध्यम से न केवल राजभाषा गतिविधियों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत होता है, बल्कि कार्मिकों को हिन्दी में अपने विचारों, अनुभवों एवं सृजनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त मंच भी प्राप्त होता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "हरितावनि" का यह अंक पाठकों को प्रेरित करने के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को नई दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही, यह राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी का निरंतर सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता ही इस प्रयास की वास्तविक शक्ति है, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

इस अंक के सफल प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं हार्दिक बधाई एवं उज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ देता हूँ।

अमोल वसंतराव सदानन्दे
उप महाप्रबंधक (सा)
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



जगत राम
सहायक महाप्रबंधक (सामान्य)
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



संदेश

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित हमारी गृह पत्रिका "हरितावनि" के इस अंक को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद-सिकंदराबाद ने भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को राजभाषा के अच्छे कार्यान्वयन के लिए "राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया है। साथ ही, "हरितावनि" के विशेष अंक को "उत्तम पत्रिका" का सम्मान भी मिला है। यह हम सभी के मिलकर किए गए प्रयासों और राजभाषा के प्रति हमारी लगन का परिणाम है।

हम जानते हैं कि किसी भी कार्यालय में राजभाषा का काम तभी आगे बढ़ता है, जब वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। महाप्रबंधक (क्षेत्र) श्री जी. एन. राजू जी के मार्गदर्शन तथा उप महाप्रबंधक (राजभाषा/विधि) श्री प्रदीप चंद्रकांत जवळकोटे जी की प्रेरणा से इस पत्रिका का प्रकाशन संभव हो पाया है।

इस अंक में अलग-अलग विषयों पर लेख, कविताएँ और राजभाषा से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल की गई हैं, जो हमारे कर्मचारियों की लेखन क्षमता और रचनात्मकता को दर्शाती हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा मंच देना है।

अंत में, मैं इस पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और इसके सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

जगत राम
सहायक महाप्रबंधक (सामान्य)
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



जी महेश कुमार
प्रबंधक(सामान्य/राजभाषा)



संपादक की कलम से.....



कई दिनों के सतत परिश्रम और समर्पण से क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की हिंदी गृह पत्रिका “हरितावनि” का अष्टम अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस गृह पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय निगम के महाप्रबंधक व अन्य पदाधिकारियों को जाता है जिनके मार्गदर्शन से इसका प्रकाशन संभव हो पाया है। इस गृह पत्रिका के माध्यम से सभी को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि वे अपने-अपने विचारों को अभिव्यक्त कर इन्हें सभी के साथ साझा कर सकें।

प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है राजभाषा नीति को कायम रखने के लिए हर तिमाही के बाद ऑनलाइन हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को भिजवाया जाता है। तथा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

कार्यालय में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हमें पत्राचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में राजभाषा हिंदी को अपनाना होगा। मैं क्षेत्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्षों एवं निगम के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से आग्रह करता हूँ कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत रुचि लें और स्वयं हिंदी में कार्य कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें।

इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अधिकाधिक कार्य हिंदी में करेंगे तथा पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ राजभाषा अधिनियम, नियम और वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों का पालन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों और समर्पण से हम हिंदी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अवश्य सफल होंगे।

सभी के सहयोग और सहभागिता के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही भविष्य में इसे और समृद्ध बनाने हेतु आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करता हूँ।

जी. महेश कुमार

जी महेश कुमार
प्रबंधक(सामान्य/राजभाषा)

"राष्ट्रभाषा किसी व्यक्ति या प्रान्त की सम्पत्ति नहीं है, इस पर सारे देश का अधिकार है"-----सरदार वल्लभ भाई पटेल



सत्येंद्र कुमार
स. श्रे.। (संचलन),
मंडल कार्यालय, वरंगल

राष्ट्र निर्माण में भारतीय खाद्य निगम की अनिवार्य भूमिका

भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर आधारित है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में भारतीय खाद्य निगम राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह संस्था केवल अनाज की खरीद और भंडारण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के आर्थिक संरक्षण, उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा बाजार संतुलन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाती है।

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ और धान की खरीद कर यह संस्था किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाती है। जब खुले बाजार में कीमतें गिरती हैं, तब भी किसानों को निर्धारित मूल्य प्राप्त होता है, जिससे उनकी आय सुरक्षित रहती है। इस व्यवस्था से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आती है और किसान उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यदि यह संरक्षण न हो, तो किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण भारतीय खाद्य निगम की दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित गोदामों और भंडारण केंद्रों के माध्यम से लाखों टन अनाज सुरक्षित रखा जाता है। यह भंडार प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, बाढ़ या अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में देश के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। खाद्य भंडार की उपलब्धता से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी स्थिति में देश में खाद्यान्न की कमी न हो।

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राज्यों को आवश्यक मात्रा में अनाज उपलब्ध कराता है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत करोड़ों लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना इस व्यवस्था की देन है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है और सामाजिक समानता को बल मिलता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक है। जब बाजार में अनाज की कमी या कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होती है, तब यह अपने भंडार से अनाज जारी कर संतुलन स्थापित करता है। इससे महँगाई पर नियंत्रण रहता है और आम जनता को राहत मिलती है। इस प्रकार यह संस्था आर्थिक स्थिरता की भी संरक्षक है।

आधुनिक समय में भारतीय खाद्य निगम ने अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी साधनों को अपनाया है। डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन प्रणाली तथा आधुनिक भंडारण तकनीक के माध्यम से कार्यों की दक्षता में वृद्धि हुई है। इससे अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय खाद्य निगम राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा का सशक्त प्रहरी है। यह किसानों के हितों की रक्षा करते हुए उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न पहुँचाने का सेतु बनता है। देश को भूखमुक्त, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में इसकी भूमिका अत्यंत अनिवार्य है। वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे की एक मजबूत आधारशिला है, जो समर्पण और दायित्वबोध के साथ देश सेवा में निरंतर कार्यरत है।



पी. राजेश
पदनाम- स. श्रे.-II (सामान्य)
मण्डल कार्यालय, नलगोंडा

प्रकृति का संदेश

एक दिन पेड़ ने मुझसे बोला,
“भाई साहब, क्या हाल है?”
मैंने कहा — “सब बढ़िया चल रहा है”,
पेड़ बोला — “बस मेरा बुरा हाल है!”

कहने लगा — “तुम ए.सी. में सोते हो,
मैं धूप में जलता रहता हूँ।
तुम बोटल का पानी पीते हो,
मैं बादल को तरसता रहता हूँ।”

नदी भी पास खड़ी मुस्काई,
बोली — “मेरी सुन लो कहानी,
पहले मैं थी सबकी प्यारी,
अब बन गई हूँ गंदी नाली!”

हवा आई खांसती-खांसती,
मास्क लगा कर बोली — “यार,
पहले मैं थी ताज़ी-ठंडी,
अब धुआँ बना मेरा श्रृंगार!”

पक्षी बोला — “घर कहाँ बनाऊँ?
पेड़ बचे ही कितने हैं!”
धरती माँ भी रो पड़ी फिर —
“बेटा, समझो... अभी भी दिन हैं।”

पेड़ ने आखिर समझाया,
“मत समझो मुझे सामान,
मैं हूँ तुम्हारी साँसों का साथी,
मुझसे ही है जीवन महान।”

मैंने तुरंत कसम ये खाई —
“अब पेड़ जरूर लगाऊँगा,
धरती माँ को फिर से हरा कर,
अपना कर्ज चुकाऊँगा।”

हरियाली की आवाज यही है —
प्रकृति को मत करो उदास,
आज बचाओ धरती को तुम,
तभी सुरक्षित होगा कल का श्वास।



सत्येंद्र कुमार
स. श्रे.। (संचलन),
मंडल कार्यालय, वरगल



राजभाषा हिंदी: “राष्ट्रीय एकता और प्रशासन की सशक्त धुरी”

भारत विविधताओं का देश है—भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और परंपराओं की अनगिनत धाराएँ यहाँ एक साथ प्रवाहित होती हैं। इस बहुरंगी सांस्कृतिक परिदृश्य में हिन्दी एक ऐसी कड़ी है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों को संवाद और संवेदना के सूत्र में बाँधती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिन्दी (देवनागरी लिपि) को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में हिन्दी न केवल प्रशासनिक कार्यों का माध्यम है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और जनसंपर्क की सशक्त आधारशिला भी है।

राजभाषा का आशय उस भाषा से है, जिसका प्रयोग शासन-प्रशासन के कार्यों में किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह आवश्यकता महसूस की गई कि देश के प्रशासन में ऐसी भाषा का प्रयोग हो, जो जनमानस से जुड़ी हो और व्यापक रूप से समझी जाती हो। हिंदी इस दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध हुई। हिंदी का स्वरूप सरल, लचीला और समावेशी है। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण कर स्वयं को समृद्ध करती रही है। यही कारण है कि हिंदी आज केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है।

राजभाषा हिंदी के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए समय-समय पर अनेक नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के माध्यम से शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' मनाया जाता है, जो हमें हिंदी के महत्व की याद दिलाता है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, जिससे कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता और दक्षता का विकास हो सके।

आज के डिजिटल युग में हिंदी ने तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया और विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। यूनिकोड और अन्य तकनीकी साधनों ने हिंदी लेखन को सरल और सुगम बना दिया है। इससे राजभाषा हिंदी का प्रयोग न केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित रही, बल्कि यह जनसंचार और वैश्विक संवाद का भी प्रभावी माध्यम बन गई है।

हालाँकि राजभाषा हिन्दी के समुचित क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अनेक कार्यालयों में अभी भी अंग्रेजी पर अत्यधिक निर्भरता देखी जाती है। तकनीकी शब्दावली की जटिलता और प्रशिक्षण की कमी भी बाधक बनती है। इन चुनौतियों का समाधान निरंतर प्रशिक्षण, सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यावहारिक प्रयोग से ही संभव है। यदि अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध हों, तो राजभाषा का उद्देश्य सहज ही पूर्ण हो सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी केवल प्रशासन की भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह जन-जन के हृदय से जुड़ी भाषा है, जो संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अपने दैनिक कार्यों में अपनाएँ और इसे सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाएँ। जब शासन और जनता के बीच भाषा की दूरी समाप्त होगी, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सशक्त और सार्थक बन सकेगा।



शिवानी प्रिया
स. श्रे. III (डिपो),
मंडल कार्यालय, वरंगल



माँ

माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं,
वो प्यार का सागर है,
उसकी ममता की छाँव में
हर तकलीफ़ छोटी है।

वो दया है,
वो करुणा है,
वो धैर्य की मिसाल है,
उसके आशीर्वाद से ही
हर मुश्किल आसान है।

वो त्याग की मूर्ति है,
वो सेवा की पहचान है,
अपनों की खुशी के लिए
वो खुद से भी अनजान है।

वो शिक्षक बनकर
जीवन की राह दिखाती है,
वो दोस्त बनकर
हर बात समझ जाती है।

वो हिम्मत भी है,
वो शक्ति भी है,
वो हर घर की शान है,
उसके बिना ये दुनिया
जैसे सूना सा जहान है।

माँ में प्यार है,
माँ में त्याग है,
माँ में पूरा संसार है।



अमरेन्द्र कुमार, स.श्रे-III (रा.भा.)
मं.का., निज़ामाबाद



रिश्तेदारी का नीतिशास्त्र

जरूरत पड़ने पर हम उन्हें, अक्सर याद आते हैं,
हमारी जरूरत के वक्त वो, चेहरा मोड़ जाते हैं।

उम्मीदें हमसे रखते हैं, पर पीठ पीछे वार करते हैं,
ये 'सच्चे' रिश्तेदार भी, क्या कमाल का प्यार करते हैं!
'हाँ' कहो तो गुड़ से मीठे, 'ना' कहो तो नीम हैं,
बनावटीपन के खेल में, ये उस्ताद-ए-अजीम हैं।

वो हिसाब रखें तो 'हक' है, हम सोचें तो 'गद्दार' हैं,
एहसानों की वसूली में, ये बड़े तेज 'साहूकार' हैं।
अतीत की एक मदद पर, वे ऐसा ब्याज लगाते हैं,
कि 'चक्रवृद्धि ब्याज' भी, इनके आगे सिर झुकाते हैं।

सरकारी नौकरी या पैसे वाला रिश्तेदार, इनके लिए 'कुबेर का अवतार' है,
पैसों के उस वृक्ष की महिमा, इनके लिए अपरंपार है।
वो दिखाते 'शुभचिंतक' खुद को, पर असल में वो 'चिंतित' हैं,
हमारी 'शुभ' तरक्की देखकर, वे अंदर ही अंदर व्यथित हैं।

जी चाहता है छोड़ दूँ, इन बनावटी रिश्तों का साथ,
पर महोत्सव की भीड़ में, यही बढ़ाते हैं अपना हाथ।
पर सुनिए, ऐ मेरे प्रिया! अगर आप इन गुणों से मुक्त हैं,
तो आप ही इस दुनिया में, सच्चे रिश्तेदारों के गुण से युक्त हैं।

आप जैसों के दम पर ही, बाकी 'रिश्तेदार' कहलाते हैं,
वरना 99% तो बस, स्वार्थ का रिश्ता निभाते हैं।
अब इनकी चालाकी हमें भी, समझ आने लगी है,
हमारी फितरत भी अब, 'महान' होने लगी है।

शिकायत क्या करें किसी की, जब खुद वही किरदार हैं,
आखिर हम भी तो किसी के, 'प्रिय' रिश्तेदार हैं!



पी उत्कला श्री,स.श्रे.।।। (तक.)
मं.का., निज़ामाबाद

अपशिष्ट न्यूनीकरण : सोच में बदलाव ही असली समाधान

आज के समय में बढ़ता हुआ कचरा केवल स्वच्छता की समस्या नहीं, बल्कि संसाधनों की बर्बादी का भी प्रतीक है। अपशिष्ट न्यूनीकरण का मूल मंत्र है – Reduce, Reuse, Recycle। सबसे पहले “Reduce” अर्थात् आवश्यकता के अनुसार ही उपभोग करना। अनावश्यक खरीदारी, एकल-उपयोग प्लास्टिक और फिजूल पैकेजिंग को कम करना ही पहला कदम है।

दूसरा है “Reuse” – जिन वस्तुओं का पुनः उपयोग संभव है, उन्हें तुरंत कचरे में न डालें। कपड़े के थैले, काँच की बोतलें, पुराने फर्नीचर और कागज़ का दोबारा उपयोग संसाधनों को बचाता है।

तीसरा और महत्वपूर्ण कदम है “Recycle” – कागज़, प्लास्टिक, धातु और जैविक कचरे को अलग-अलग कर पुनर्चक्रण के लिए भेजना। इसके लिए स्रोत पर ही कचरे का विभाजन आवश्यक है – हरा डिब्बा गीले कचरे के लिए, नीला सूखे कचरे के लिए और लाल खतरनाक अपशिष्ट के लिए।

उच्च अधिकारियों की सोच में बदलाव लाने हेतु केवल नियम नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब नेतृत्व स्वयं कचरा पृथक्करण अपनाए, प्रशिक्षण दे और प्रोत्साहन नीतियाँ लागू करे, तभी संस्थागत परिवर्तन संभव है। अपशिष्ट को समस्या नहीं, संसाधन मानने की मानसिकता ही स्वच्छ और सतत भविष्य की कुंजी है।



आर प्रणिता, स.श्रे-॥ (डि)
मं.का., निज़ामाबाद



बेटी

जब-जब जन्म लेती है बेटी,
खुशियाँ साथ लाती है बेटी।

ईश्वर की सौगात है बेटी,
सुबह की पहली किरण है बेटी।

तारों की शीतल छाया है बेटी,
आंगन की चिड़िया है बेटी।

त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी,
नये-नये रिश्ते बनाती है बेटी।

जिस घर जाए, उजाला लाती है बेटी,
बार-बार याद आती है बेटी।

बेटी की कीमत उनसे पूछो,
जिनके पास नहीं है बेटी।



नाम- स्वाति कुमारी
पदनाम- स. श्रे.-III डिपो
मण्डल कार्यालय, नलगोंडा

हम्पी- समय यात्रा

प्रस्थान: 02 मार्च, रात्रि 8:00 बजे | हमारा घर – नलगोंडा

02 मार्च की रात ठीक 8:00 बजे, अपने प्यारे घर नलगोंडा से हम सब सहेलियाँ हम्पी की रोमांचक यात्रा के लिए बस में सवार हुए। घर से निकलते समय मन में एक अलग ही उत्साह था — जैसे कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। परिवार से विदा लेकर, ढेर सारी उम्मीदों और सपनों के साथ हमने अपनी यात्रा आरंभ की।

हम पहले हैदराबाद पहुंचे, जहाँ से हमने होस्पेट के लिए दूसरी बस ली। रातभर का सफर हँसी-मज़ाक, गानों और भविष्य की कल्पनाओं में बीत गया। सुबह जब बस कर्नाटक पहुँची, तो ताज़ी हवा और शांत वातावरण ने हमारा स्वागत किया। होस्पेट से हम अपने सुंदर इको-रिसॉर्ट पहुँचीं। हरियाली से घिरा कॉटेज, मिट्टी की सोंधी खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट — सब कुछ बेहद सुकून देने वाला था। नाश्ता किया और फिर शुरू हुई हमारी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी “समय यात्रा”

• 03 मार्च: दिन 1 – पवित्र हम्पी एवं कोरकल नौका विहार

हमने अपनी यात्रा की शुरुआत हम्पी के हृदय में स्थित विरुपाक्ष मंदिर से की। ऊँचा गोपुरम, मंदिर की भव्य संरचना और घंटियों की मधुर ध्वनि ने हमारे मन को श्रद्धा से भर दिया। ऐसा लगा मानो हम विजयनगर साम्राज्य के स्वर्णिम युग में पहुँच गई हों।



मंदिर के अंदर हमें एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। मंदिर के गोपुरम की छाया मंदिर की एक दीवार पर उलटी दिखाई देती है। यह घटना "कैमरा ऑब्स्क्यूरा" (पिनहोल कैमरा सिद्धांत) पर आधारित है, जिसमें एक छोटे से छिद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें सामने की दीवार पर वस्तु की उलटी छवि बना देती हैं। सदियों पहले निर्मित इस मंदिर में इस प्रकार का वैज्ञानिक सिद्धांत देखने पर हम सब अत्यंत आश्चर्यचकित रह गईं और सोचने लगीं कि उस समय के लोगों के पास कितनी गहरी वैज्ञानिक समझ और अद्भुत वास्तु-कौशल रहा होगा। इसके बाद हमने हम्पी बाजार, ससिवेकालु गणेश, कदलेकालु गणेश और हेमकूट पर्वत का भ्रमण किया। हेमकूट पहाड़ी से दिखाई देता पूरा हम्पी सच में अद्भुत था — सुनहरे पत्थरों का समुद्र और मंदिरों की कतारें।

दोपहर में हमने कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नरसिंह प्रतिमा और बडवीलिंग (शिवलिंग) के दर्शन किए। मंदिरों की दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी इतनी अद्भुत और जटिल थी कि कई आकृतियों और दृश्यों का अर्थ समझ पाना हमारे लिए कठिन था। फिर भी हर पत्थर मानो किसी प्राचीन कहानी को जीवंत कर रहा था। इस दौरान हमने कई विदेशी पर्यटकों को भी वहाँ घूमते देखा। कुछ पर्यटकों से हमने बातचीत भी की और उन्हें हम्पी की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में जानने की उत्सुकता देख कर हमें बहुत अच्छा लगा।

शाम को हमने तुंगभद्रा नदी में कोरकल राइड (गोल नाव की सवारी) का आनंद लिया। गोल नाव में बैठकर नदी की लहरों के साथ घूमना बेहद रोमांचक था। दिन का समापन नदी किनारे बैठे हुए मनमोहक सूर्यास्त के साथ हुआ।

● 04 मार्च: दिन 2 – शाही परिसर एवं नदी राफ्टिंग रोमांच

दूसरे दिन हम भव्य विट्टल मंदिर पहुँचीं। यहाँ का प्रसिद्ध पत्थर का रथ — स्टोन चेयरियट (पत्थर का रथ) — हमारी यात्रा का मुख्य आकर्षण था। यह वही रथ है जिसकी छवि भारतीय ₹50 के नोट पर अंकित है। उसे अपनी आँखों से देखना हमारे लिए गर्व और आश्चर्य का क्षण था।



मंदिर परिसर में स्थित संगीतमय स्तंभों और अद्भुत स्थापत्य कला को देखकर हम अचंभित रह गईं। ऐसा लगता था मानो हर पत्थर किसी कलाकार की अनंत साधना का परिणाम हो। इसके बाद हमने अच्युतराय मंदिर और कमल महल का भ्रमण किया। शाही परिसर की भव्यता और वास्तुकला ने हमें विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और वैभव का अनुभव कराया।

● 05 मार्च: दिन 3 – सूर्योदय, प्राचीन मंदिर और वापसी

तीसरे दिन सुबह हम अंजनाद्रि पर्वत पहुँचीं। 575 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलीं, तो वह दृश्य आत्मा को छू लेने वाला था। ऊपर से दिखाई देता पूरा परिदृश्य मानो प्रकृति की किसी दिव्य चित्रकला जैसा लग रहा था।

इसके बाद हमने एक प्राचीन भूमिगत शिव मंदिर का भी दर्शन किया जिसे प्रसन्न विरुपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भूमि के स्तर से नीचे स्थित है और वहाँ का शांत, ठंडा और रहस्यमय वातावरण हमें प्राचीन काल की गहराई का अनुभव करा रहा था। ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो और हम किसी बहुत प्राचीन युग में पहुँच गए हों।

इसके पश्चात हमने हाथी शाला (एलिफेंट स्टेबल्स) का भी भ्रमण किया, जो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक राजा कृष्ण देव राय के समय की प्रसिद्ध स्थापत्य कृतियों में से एक मानी जाती है। विशाल गुंबदों और अद्भुत स्थापत्य शैली से बनी यह संरचना उस समय के राजकीय वैभव और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है।



कुछ समय वहाँ बिताकर हमने उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस किया और अपनी यात्रा के खूबसूरत पलों को याद किया।

दोपहर में हम होस्पेट के लिए रवाना हुईं और वहाँ से बस द्वारा हैदराबाद होते हुए अपने घर नलगोंडा लौट आईं। घर पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे हम अपने साथ ढेर सारी यादें, अनुभव और मुस्कानें लेकर आई हैं। यह यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं थी, बल्कि इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और मित्रता के साथ बिताए अनमोल क्षणों की कहानी बन गई, जो जीवनभर हमारे दिलों में जीवित रहेगी।



कल्लेवरापु रामबाबू,
सहायक ग्रेड-II (लेखा),
भारतीय खाद्य निगम, प्रभागीय कार्यालय,
नलगोंडा।



भारतीय खाद्य निगम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का तकनीकी रूपांतरण

सारांश (Abstract)

सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण ने दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारतीय खाद्य निगम, भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ है, जो खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण और वितरण को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत्रिम होशियारी आधारित तकनीकों को अपनाना शुरू किया है। यह लेख भारतीय खाद्य निगम के आधुनिकीकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, उसके लाभ, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1. परिचय

भारत विश्व की सबसे बड़ी खाद्य वितरण प्रणालियों में से एक संचालन करता है। भारतीय खाद्य निगम जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, किसानों से खाद्यान्न खरीदने, बफर स्टॉक बनाए रखने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती मांग और परिचालन जटिलताओं के कारण पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों की सीमाएँ स्पष्ट होने लगी हैं। ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग इन चुनौतियों के समाधान के लिए नवीन अवसर प्रदान करता है।

2. अनाज खरीद और गुणवत्ता परीक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

खरीद (Procurement) खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। पहले अनाज की गुणवत्ता जांच मैनुअल रूप से की जाती थी, जिससे कभी-कभी देरी और असंगतियाँ उत्पन्न होती थीं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता –संचालित ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइज़र (AGA) अब निम्नलिखित कार्यों में सहायता करते हैं:

- नमी की सटीक माप
- क्षतिग्रस्त या बदरंग दानों की पहचान
- वस्तुनिष्ठ गुणवत्ता वर्गीकरण
- मानवीय त्रुटि और पक्षपात में कमी

यह प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करती है तथा किसानों और सरकार दोनों के हितों की रक्षा करती है।



3. गोदाम और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता



भारतीय खाद्य निगमदेशभर में हजारों भंडारण केंद्रों का प्रबंधन करता है। अनुचित भंडारण से अनाज खराब होने, कीट संक्रमण और अपव्यय का खतरा रहता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और IoT तकनीकों के माध्यम से:

- तापमान और आर्द्रता की वास्तविक समय में निगरानी
- डेटा विश्लेषण द्वारा खराब होने की संभावना का पूर्वानुमान
- स्वचालित स्टॉक ट्रेकिंग
- परिवहन मार्गों का अनुकूलन

पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण (Predictive Analytics) बेहतर मांग-आपूर्ति संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और नुकसान को कम करता है।

4. पारदर्शिता और लाभार्थी प्रतिक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों के माध्यम से:

- स्वचालित बहुभाषी कॉल द्वारा लाभार्थियों से प्रतिक्रिया एकत्र करना
 - वाणी पहचान (Speech Recognition) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) द्वारा शिकायतों का विश्लेषण
 - वितरण में अनियमितताओं की शीघ्र पहचान
 - वास्तविक समय डैशबोर्ड के माध्यम से निर्णय समर्थन
- इन उपायों से जवाबदेही और विश्वास में वृद्धि होती है।

5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण के लाभ

भारतीय खाद्य निगम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं:

1. गुणवत्ता परीक्षण में अधिक सटीकता
2. भंडारण अपव्यय में कमी
3. त्वरित और डेटा-आधारित निर्णय
4. पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि
5. लाभार्थियों को बेहतर सेवा वितरण

इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ताराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

6. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

हालाँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई लाभ हैं, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं:

- उच्च प्रारंभिक लागत
- तकनीकी दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी
- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना और सतत प्रशिक्षण आवश्यक है।

7. भविष्य की संभावनाएँ

भविष्य में भारतीय खाद्य निगममें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग और उन्नत हो सकता है, जैसे:

- उन्नत पूर्वानुमान विश्लेषण
- आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन तकनीक
- ड्रोन आधारित गोदाम निगरानी
- पूर्णतः स्वचालित खरीद केंद्र

उचित निवेश और नीति समर्थन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को डिजिटल शासन का आदर्श मॉडल बना सकता है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय खाद्य निगम के संचालन में व्यापक परिवर्तन ला रही है। खरीद से लेकर वितरण तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाते हैं। डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारतीय खाद्य निगम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भारत की खाद्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



सत्येंद्र कुमार
स. श्रे.। (संचलन),
मंडल कार्यालय, वरगल



शीर्षक: “राजभाषा हिंदी”

देवनागरी की मधुर लिपि में,
गूँज उठे जब वाणी,
राजपथ से जनपथ तक फैले
हिन्दी की कहानी।

शब्दों में इसकी सादगी है,
भावों में विस्तार,
उत्तर से दक्षिण तक जोड़ें
सपनों का संसार।

गंगा-सी निर्मल धारा बनकर
बहती हर आँगन में,
माँ की ममता-सी महक उठे
अपने ही स्पंदन में।

संविधान की गौरव गाथा,
जन-मन का विश्वास,
राजभाषा बन सशक्त करे
शासन का हर प्रयास।

कार्यालय की फाइलों में
जब हिन्दी मुस्काए,
सरल, सहज अभिव्यक्ति से
दूरी सब मिट जाएँ।

तकनीकी संग कदम मिलाकर
आगे बढ़ती जाए,
डिजिटल युग के पथ पर भी
अपना ध्वज लहराए।

आओ मिलकर व्रत यह लें हम,
हिन्दी का मान बढ़ाएँ,
अपने कर्म और व्यवहार से
इसको शिखर पहुँचाएँ।

राजभाषा हिंदी है अपनी,
राष्ट्र-हृदय की धड़कन,
इसके संग ही सजीव रहे
भारत की हर स्पंदन।



नाम - डॉ राघवेंद्र सिंह
पदनाम- स.म.प्र.(गु.नि.)
मण्डल कार्यालय, नलगोंडा

फूड एडिटिक्स, अपमिश्रण और पैकेजिंग: आपकी खाद्य सुरक्षा हेतु एक त्वरित गाइड



क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाश्ते वाला दूध या चिप्स का पैकेट वाकई सुरक्षित है या नहीं? भारत में, कुछ खास नियम हैं और एक "खाने वाली पुलिस" है जिसे FSSAI कहते हैं। इनका काम यह पक्का करना है कि आप जो भी खाएं, वह सेहतमंद हो।

साल 2026 में अब हमको और आपको सुरक्षित रखने के लिए नियम और भी सख्त हो गए हैं। यहाँ एक आसान गाइड है जिससे आप समझ सकते हैं कि खाने की दुनिया में क्या चल रहा है!

1. फूड एडिटिक्स (Food Additives): खाने के 'मददगार'

एडिटिक्स वे चीज़ें होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक भोजन में मिलाते हैं ताकि खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगे, सुंदर दिखे या लंबे समय तक ताज़ा रहे। अच्छी बात यह है कि कुछ एडिटिक्स खाने को खराब होने या फफूंद (mold) से बचाते हैं। FSSAI ने पुराने नकली रंगों पर पाबंदी लगा दी है। अब वे एंजाइम की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित हों।

2. मिलावट : खाने के 'धोखेबाज़'

मिलावट (एडल्ट्रेशन) तब होती है जब कोई लालच में आकर खाने में चुपके से कोई "नकली" या "सस्ती" चीज़ मिला देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चावल की बोरी का वजन बढ़ाने के लिए उसमें पत्थर भर दे! कई मिलावटखोर, मिलावट करने वाले लोग अब पत्थरों की जगह रसायनों (chemicals) का इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं:

तालिका 1: खाने में होने वाली कुछ आम मिलावट:

क्रम संख्या	खाने की चीज़	नकली' सामान	यह बुरा क्यों है?
1	दूध/पनीर	डिटर्जेंट या यूरिया	इससे पेट बहुत खराब हो सकता है
2	मसाले (मिर्च/हल्दी)	जहरीले लाल और पीले रंग	ये रंग शरीर के लिए ज़हर जैसे हो सकते हैं
3	शहद	चीनी की चाशनी	यह मधुमक्खियों वाला असली शहद नहीं होता
4	अंडे	एंटीबायोटिक दवाएं	इससे आगे चलकर दवाइयाँ आप पर असर करना बंद कर सकती हैं।

डिटैक्टिव टिप: आप घर पर अपने दूध की जांच कर सकते हैं! अगर आप दूध को ज़ोर से हिलाते हैं और उसमें साबुन की तरह बहुत सारे झाग बनते हैं, तो समझ जाइए कि उसमें डिटर्जेंट हो सकता है!

3. पैकेजिंग: खाने के 'कपड़े'

सोचिए कि खाने का रैपर या बोतल उसके कपड़ों की तरह है। अगर कपड़े गंदे या खराब मटेरियल के होंगे, तो खाना भी "गंदा" हो जाएगा। भारत में पैकेजिंग के लिए कुछ नए नियम हैं:

- "हमेशा रहने वाले रसायन" (PFAS) पर रोक: ये ऐसे केमिकल हैं जो कभी खत्म नहीं होते और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इनका पैकेजिंग में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
- सुरक्षित प्लास्टिक: हर प्रकार का प्लास्टिक खाने के लिए सुरक्षित नहीं होता। अब केवल खास "फूड ग्रेड" प्लास्टिक ही इस्तेमाल होगा, जो खाने में ज़हर नहीं छोड़ता।
- रिसाइकलिंग: यदि कोई कंपनी पुराने प्लास्टिक का पुनः उपयोग करती है, तो उसे सरकार से मान्यता प्राप्त मशीनों में बहुत अच्छे से साफ करना होगा।

4. खाने वाली पुलिस (FSSAI) के नए नियम:

FSSAI आपके किचन के लिए एक सुपरहीरो टीम की तरह है। उनके नए नियम कहते हैं:

1. **डिजिटल ट्रेकिंग:** हर खाने वाली कंपनी को सरकार को यह बताना होगा कि उनके मसाले या दूध कहाँ से आए हैं। उन्हें यह जानकारी सिर्फ 24 घंटे में देनी होगी।
2. **सही जानकारी देने वाले लेबल:** कंपनियाँ बिना सबूत के "प्राकृतिक" (Natural) या "शुद्ध" (Pure) नहीं लिख सकतीं। ऐसा लिखना अब प्रतिबंधित है।
3. **सख्त चेकिंग:** अगर किसी फैक्ट्री में गंदगी पाई गई या पैकेजिंग खराब पाई गई तो FSSAI उसे तुरंत बंद कर सकती है। भारत हाई-टेक कंप्यूटरों और लैब का इस्तेमाल खाने और उसमें मिलावट की जाँच के लिए कर रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि जब आप दूध, चॉकलेट या जूस खरीदें, तो वह बिल्कुल वैसा ही हो, जैसा पैकेट पर लिखा है।
वैसे तो लैब में बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन ये दो परीक्षण आप अपनी रसोई में ही कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताऊँगा जिससे आप घर पर ही जान सकें कि आपकी हल्दी या काली मिर्च असली है या नहीं?

1. हल्दी की जांच (The Turmeric Test)



हल्दी में कभी-कभी 'मेटानिल येलो' नाम का एक ज़हरीला पीला रंग मिला दिया जाता है। इसे पकड़ने का तरीका बहुत आसान है:

- **क्या चाहिए:** एक कांच का गिलास, पानी और एक चम्मच हल्दी।
- **कैसे करें:** गिलास में पानी भरें और ऊपर से एक चम्मच हल्दी डाल दें। इसे हिलाएं (stir) नहीं!
- **नतीजा:**
 - **असली हल्दी:** धीरे-धीरे गिलास के नीचे बैठ जाएगी और पानी हल्का पीला रहेगा।
 - **नकली हल्दी:** अगर पानी तुरंत गहरा पीला या नारंगी (orange) हो जाए और रंग ऊपर ही तैरता रहे, तो समझ जाइए इसमें मिलावट है।

2. काली मिर्च की जाँच (The Black Pepper Test)



काली मिर्च में अक्सर पपीते के सूखे बीज मिला दिए जाते हैं, क्योंकि वे देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं।

- क्या चाहिए:** एक कटोरी पानी और मुट्टी भर काली मिर्च के दाने।
- कैसे करें:** काली मिर्च के दानों को पानी में डाल दें।
- नतीजा:**
 - असली काली मिर्च:** असली दाने भारी होते हैं, इसलिए वे पानी में डूब जाएंगे।
 - नकली (पपीते के बीज):** पपीते के बीज अंदर से खोखले और हल्के होते हैं, इसलिए वे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे।

3. लाल मिर्च की जाँच (The Red Chilli Test)



क्या आपको पता है कि लाल मिर्च में कभी-कभी ईट का चूरा (brick powder) मिलाया जाता है?

- क्या चाहिए:** एक गिलास पानी और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर।
- कैसे करें:** पानी में मिर्च पाउडर डालें और उसे थोड़ा सा हिलाएँ।
- नतीजा:** अगर गिलास के नीचे कुछ भारी और कंकड़ जैसा पदार्थ बैठ जाए, तो वह ईट का चूरा हो सकता है। असली मिर्च पाउडर पानी में रंग छोड़ेगा लेकिन नीचे मिट्टी जैसा कुछ नहीं जमा होगा।

चलिए, अब मैं आपको पैकेट के पीछे छिपे उन 'सीक्रेट कोड्स' के बारे में बताता हूँ जिन्हें देखकर आप असली फूड डिटेक्टिव बन जाएँगे। जब आप दुकान पर जाएं, तो पैकेट को पलटें और इन निशानों को ढूँढें:

1. वेज (Veg) और नॉन-वेज (Non-Veg) के निशान

यह सबसे आसान कोड है, लेकिन बहुत ज़रूरी है!

- हरा घेरा (Green Circle):** अगर सफेद डिब्बे के अंदर एक हरा गोला है, तो इसका मतलब है कि यह खाना पूरी तरह से शाकाहारी है।
- भूरा घेरा या त्रिकोण (Brown Circle or Triangle):** अगर वहां भूरा गोला है, तो समझ जाइए कि इसमें अंडा या मांसाहारी चीज़ें मिली हुई हैं।

2. FSSAI का 'जादुई' नंबर

हर खाने के पैकेट के पीछे एक FSSAI का लोगो और उसके नीचे 14 अंकों का एक नंबर लिखा होता है।

- यह नंबर उस कंपनी की 'पहचान पत्र' (ID Card) है।

डिटेक्टिव ट्रिक: अगर आपको शक हो, तो आप FSSAI की ऐप पर यह नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि यह कंपनी असली है या नकली!

३. '+F' का निशान (Super-Power Food)



क्या आपने कभी दूध या तेल के पैकेट पर एक नीले रंग के डिब्बे में +F लिखा देखा है?

- इसका मतलब है 'Fortified' (फोर्टिफाइड)।
- इसका मतलब है कि सरकार के निर्देश पर कंपनियाँ इसमें अतिरिक्त विटामिन और आयरन मिलाती हैं। ताकि आपकी हड्डियाँ और दिमाग और भी तेज़ चलें। यह किसी 'सुपर-पावर' से कम नहीं है!



4. जैविक भारत (Jaivik Bharat) का लोगो

अगर पैकेट पर एक हरे रंग की पत्ती जैसा लोगो बना है, जिस पर **Jaivik Bharat** लिखा है:

- इसका मतलब है कि यह खाना Organic है। इसे उगाने में किसी भी ज़हरीली दवा या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह धरती और आपकी सेहत, दोनों के लिए बेहतर है।

5. 'Best Before' vs 'Expiry Date'

यह सबसे ज़रूरी कोड है!

- **Expiry Date:** यह वो तारीख है जिसके बाद वह खाना ज़हर बन सकता है। इसे कभी न खाएं!
- **Best Before:** इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद खाने का स्वाद या कुरकुरापन कम हो सकता है, लेकिन वह तुरंत खराब नहीं होता है। (पर एक अच्छे डिटेक्टिव को हमेशा ताज़ा खाना ही चुनना चाहिए!)

आपके लिए एक छोटी सी चुनौती (Challenge)

अगली बार जब आप बिस्किट या चिप्स का पैकेट खरीदें, तो देखें कि क्या उस पर FSSAI का लोगो और Veg/Non-veg का निशान है? यह भी देखें कि पैकेट पर एक्सपायरी डेट है या बेस्ट बिफ़ोर? आप उन खाने के सामान की लिस्ट भी बनाये जिसमें +F का निशान बना हुआ हो।

क्या आप जानते है की भारतीय खाद्य निगम भी अब अपने सभी चावल को फोर्टिफाइड करके ही बेचता है। यह हमारे प्रधानमंत्री के उस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है, जिसमे उन्होंने जनवरी 26, २०१४ को लाल क़िले की प्राचीर से समस्त राशन के चावल को फोर्टिफाइड करने का संकल्प लिया गया था।



सत्येंद्र कुमार
स. श्रे.। (संचलन),
मंडल कार्यालय, वरगल



पश्चिम एशिया का संकट: इज़राइल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध

विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया सदैव एक संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र रहा है। यहाँ उत्पन्न होने वाला कोई भी तनाव केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। यदि इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति बनती है, तो यह केवल तीन देशों का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संकट का रूप ले सकता है। इज़राइल और ईरान के बीच वैचारिक और सामरिक विरोध कई दशकों पुराना है। ईरान ने अनेक बार इज़राइल की नीतियों की आलोचना की है, जबकि इज़राइल ईरान की गतिविधियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इस समीकरण में अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका लंबे समय से इज़राइल का प्रमुख सहयोगी रहा है। यदि इज़राइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष होता है, तो अमेरिका की भागीदारी लगभग निश्चित मानी जाती है। यही कारण है कि यह संघर्ष सीमित न रहकर व्यापक रूप ले सकता है।

युद्ध प्रारम्भ होने के प्रमुख कारण

- 1. परमाणु कार्यक्रम का विवाद:** ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस और चिंता का विषय रहा है। इज़राइल को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, जिससे उसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा और शोध के लिए है।
- 2. क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:** पश्चिम एशिया में प्रभाव स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा भी तनाव का बड़ा कारण है। ईरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इज़राइल और अमेरिका इस विस्तार को रोकना चाहते हैं।
- 3. आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक अविश्वास:** अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने दोनों देशों के संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे राजनीतिक कटुता और बढ़ी है।
- 4. सैन्य गठबंधन और प्रत्यक्ष टकराव:** यदि किसी छोटे सैन्य हमले या सीमा पर हुई घटना से प्रतिशोध की श्रृंखला शुरू हो जाए, तो स्थिति पूर्ण युद्ध में बदल सकती है।

श्विक स्तर पर संभावित प्रभाव

यदि यह युद्ध व्यापक रूप लेता है, तो इसके परिणाम केवल युद्धरत देशों तक सीमित नहीं रहेंगे।

- 1. ऊर्जा संकट :** ईरान के समीप स्थित हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति के रूप में गुजरता है। युद्ध की स्थिति में यदि यह मार्ग बाधित होता है, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक महँगाई और परिवहन लागत पर पड़ेगा।
- 2. आर्थिक अस्थिरता :** ऊर्जा संकट के कारण शेयर बाजार, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होंगे। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका विशेष दुष्प्रभाव पड़ेगा।

3. मानवीय त्रासदी :युद्ध के कारण हजारों नागरिक विस्थापित हो सकते हैं। शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी और पड़ोसी देशों पर दबाव पड़ेगा। भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है।
4. वैश्विक सुरक्षा पर खतरा :यदि अन्य महाशक्तियाँ किसी एक पक्ष का समर्थन करती हैं, तो यह संघर्ष व्यापक अंतरराष्ट्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। परमाणु हथियारों की आशंका स्थिति को और भयावह बना सकती है।
5. राजनीतिक ध्रुवीकरण: विश्व के देश विभिन्न गुटों में बँट सकते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव और अविश्वास बढ़ेगा।

विश्व समुदाय की जिम्मेदारी

ऐसी गंभीर परिस्थिति में विश्व के सभी देशों को संयम और दूरदर्शिता का परिचय देना आवश्यक है।

1. कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा: सैन्य कार्रवाई के स्थान पर वार्ता और समझौते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से शांति प्रयास तेज किए जाएँ।
2. मध्यस्थता और विश्वास निर्माण :तटस्थ देश मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों के बीच विश्वास स्थापित करने में भूमिका निभा सकते हैं।
3. ऊर्जा और आर्थिक तैयारी :वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रह सके।
4. मानवीय सहायता :युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। शरणार्थियों के लिए सुरक्षित आश्रय और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना अंतरराष्ट्रीय दायित्व है।
5. संयमित नेतृत्व :महाशक्तियों को उकसावे से बचते हुए जिम्मेदार नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। आक्रामक बयानबाजी के स्थान पर शांतिपूर्ण पहल आवश्यक है।

निष्कर्ष

इज़राइल-अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध केवल एक क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हो सकता है। इसके प्रमुख कारणों में परमाणु विवाद, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक अविश्वास शामिल हैं। यदि यह संघर्ष व्यापक होता है, तो ऊर्जा संकट, आर्थिक मंदी, मानवीय त्रासदी और वैश्विक अस्थिरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

मानव इतिहास यह सिखाता है कि युद्ध समाधान नहीं, बल्कि विनाश का मार्ग है। शांति, संवाद और सहयोग ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व समुदाय दूरदर्शिता और एकजुटता के साथ आगे आए, ताकि संभावित संकट को टाला जा सके और विश्व शांति को सुरक्षित रखा जा सके।



नाम – बी. कशीरेड्डी
पदनाम – प्रबंधक (संचालन),
मण्डल कार्यालय, नलगोंडा

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक, अर्द्ध-न्यायिक तथा न्यायिक निर्णय-निर्माण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए मूलभूत नियम हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाएँ। **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने विभिन्न निर्णयों में यह माना है कि प्राकृतिक न्याय, संविधान के **अनुच्छेद 14** के अंतर्गत निहित निष्पक्षता का अभिन्न अंग है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत :

1. पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत

यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी निष्पक्ष, पूर्वाग्रह-रहित और किसी भी व्यक्तिगत हित से मुक्त होना चाहिए।

ए. के. क्रेपाक बनाम भारत संघ (1969) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच का अंतर बहुत कम रह गया है, इसलिए प्रशासनिक निर्णयों में भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त **मानक लाल बनाम डॉ. प्रेम चंद (1957)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि पक्षपात की उचित संभावना भी हो, तो वह निर्णय को अमान्य ठहराने के लिए पर्याप्त है।

2. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना उसे सुने दंडित नहीं किया जा सकता। किसी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले संबंधित व्यक्ति को आरोपों की जानकारी दी जानी चाहिए तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है तथा मनमाने निर्णयों को रोका जा सकता है।

3. कारणयुक्त आदेश

कारणयुक्त आदेश वह आदेश होता है जिसमें निर्णय के कारण और आधार स्पष्ट रूप से बताए गए हों। कारणों का अभिलेखन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और मुद्दों पर उचित रूप से विचार किया है।

कारणयुक्त आदेश प्रशासनिक तथा अर्द्ध-न्यायिक निर्णयों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इससे प्रभावित पक्ष को निर्णय का आधार समझने में सहायता मिलती है तथा उच्च प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन में भी सुविधा होती है। इसके विपरीत, बिना कारण के पारित आदेश मनमाना प्रतीत हो सकता है और उसे निरस्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष :

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के मनमाने या अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लिए जाएँ तथा प्रभावित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले। यदि किसी निर्णय में इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई अन्यायपूर्ण और विधि के विपरीत मानी जा सकती है, और न्यायालयों को ऐसे निर्णयों को निरस्त या अमान्य घोषित करने का अधिकार होता है।

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

हिंदी दिवस रिपोर्ट -2025

भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय के निर्देशानुसार और राजभाषा नीति के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में वर्ष 2025 में दि 19.09.25 से 30.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसका शुभारंभ दिनांक 19.09.2025 को श्री जी एन राजू, महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दि. 30.09.2025 को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हिंदी पखवाड़ा का समापन किया गया। इस अवसर पर हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री जी एन राजू, महाप्रबंधक(क्षेत्र), श्री संजय चौधरी, उप महाप्रबंधक (क्षेत्र), श्री प्रदीप सी जवळेकोटे, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), श्रीमती वेमुला श्रीदेवी, उप महाप्रबंधक (सामान्य), श्रीमती कामना ज्ञान, उप महाप्रबंधक (सामान्य), एवं श्री चिल्ला मोहन चंद्रा उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) द्वारा पुरस्कार प्रदान किये गये। इस अवसर पर कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी कार्यान्वयन के प्रति जागरूक रहने का संदेश देते हुए, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में हिंदी कार्यान्वयन में हुई प्रगति के प्रति अपना हर्ष व्यक्त किया।

हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। इसके साथ ही साथ राजभाषा में कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन हेतु नकद पुरस्कार वितरित किए गए। राजभाषा अनुभाग की गृह पत्रिका "हरितावनि" में प्रकाशित रचनाओं में से उत्कृष्ट कविता, उत्कृष्ट लेख एवं उत्कृष्ट श्रव्य पुस्तक (ऑडियो पुस्तक) हेतु विजेताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ-साथ नकद पुरस्कार राशि वितरित की गई। पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहन हेतु सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

अंत में श्री जी एन राजू, महाप्रबंधक(क्षेत्र) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस का समापन हुआ।



क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक



क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन



क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में पोषण माह का आयोजन



क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में महिला दिवस का आयोजन

दिनांक 18-11-2025 को तेलंगाना क्षेत्र में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किये गए निरीक्षण की झलकियाँ




संसदीय राजभाषा समिति
गृह मंत्रालय / भारत सरकार
निरीक्षण प्रयाग-पत्र


संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1974 में किया गया। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति है। इस समिति में 20 लोक सभा के और 18 राज्य सभा के सदस्य शामिल हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य देश के राजभाषा प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरीक्षण और समीक्षा कर निवेदन करने हुए अपने निवेदन भारतीय राष्ट्रपति को को प्रस्तुत करना है।

इसे छत्र में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 18.11.2025 को
आरक्षित खाद्य भिन्नता, मंडल कार्यालय, नरसरायपेट
का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा निरीक्षण में आपके कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग व कार्यालय को (संतोषजनक) कहा गया।

अर्चिटी मंडल
(भारतीय सहायक)
उपाध्यक्ष
संसदीय राजभाषा समिति

अजयल राय सिंह
संयोजक
दूसरी उप-समिति

कार्यालय का पता: 11, गैंगुली मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष : 011-24111167
Email: rajabhasa@parliament.gov.in


संसदीय राजभाषा समिति
गृह मंत्रालय / भारत सरकार
निरीक्षण प्रयाग-पत्र

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1974 में किया गया। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति है। इस समिति में 20 लोक सभा के और 18 राज्य सभा के सदस्य शामिल हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य देश के राजभाषा प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरीक्षण और समीक्षा कर निवेदन करने हुए अपने निवेदन भारतीय राष्ट्रपति को को प्रस्तुत करना है।

इसे छत्र में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 18.11.2025 को
आरक्षित खाद्य भिन्नता, मंडल कार्यालय, नरसरायपेट
का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा निरीक्षण में आपके कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग व कार्यालय को (संतोषजनक) कहा गया।

अर्चिटी मंडल
(भारतीय सहायक)
उपाध्यक्ष
संसदीय राजभाषा समिति

अजयल राय सिंह
संयोजक
दूसरी उप-समिति

कार्यालय का पता: 11, गैंगुली मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष : 011-24111167
Email: rajabhasa@parliament.gov.in



प्रदीप सी जवळकोटे
उपमहाप्रबंधक (विधि/राजभाषा) द्वारा रचित चित्रांकन



धनुषा राज, कक्षा -1
धर्मराज कुमार, प्रबंधक (सामान्य) की पुत्री



सुश्री ऐश्वर्या घडियाराम प्रबंधक (सामान्य)
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद.

तेलगाना क्षेत्र में हिन्दी में मसौदा और टिप्पण योजना में भाग लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के लिए नकद पुरस्कार मंजूरी आदेश दिया गया ।

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद				
क्र.सं. Sl.No	नाम एवं पदनाम/ Name & Designation Shri/Smt./Kum.	कार्यालय (जहाँ कार्यरत हैं) DO where working	पुरस्कार / Prize	नकद पुरस्कार Cash Award (@Rs.)
1.	जी ई रेणुका, सहायक श्रेणी-II(तकनीकी)	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	1st	6000/-
2.	के क्रांति कुमार, सहायक श्रेणी-I(सा)	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	1st	6000/-
3.	स्तुति गुप्ता, सहायक श्रेणी-II(तकनीकी)	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	2nd	5500/
4.	रोहित एन, प्रबंधक (सामान्य)	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	2nd	5500/
5.	धर्मराज कुमार, प्रबंधक (संचलन)	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	2nd	5500/
मंडल कार्यालय, वरंगल				
6.	गुगुलोथ ममता ,स.श्रे-III(सा.)	मंडल कार्यालय, वरंगल	1st	6000/-
7.	लक्ष्मण प्रसाद गुडीकनडुला , स.श्रे-III(सा.)	मंडल कार्यालय, वरंगल	1st	6000/-
8.	डी मोहन कृष्ण ., प्रबंधक(सा.)	मंडल कार्यालय, वरंगल	2nd	5500/
9.	राज कुमार पल्ले , स.श्रे-III(सा.)	मंडल कार्यालय, वरंगल	2nd	5500/
मंडल कार्यालय, तारनाका				
10.	राजेश चक्रवर्ती ,प्रबंधक (लेखा)	मंडल कार्यालय, तारनाका	1st	6000/-
11.	रामगल्ला देवेंदर, प्रबंधक (संचलन)	मंडल कार्यालय, तारनाका	1st	6000/-
12.	वी. एस. एस. एस. राम ,प्रबंधक (संचलन)	मंडल कार्यालय, तारनाका	2nd	5500/
13.	एस. रोजम्मा, प्रबंधक (सामान्य)	मंडल कार्यालय, तारनाका	2nd	5500/
14.	जे. एस. कविता प्रबंधक(सामान्य)	मंडल कार्यालय, तारनाका	2nd	5500/
मंडल कार्यालय नलगोंडा				
15.	कयोगिता श्री सरण्या , स.श्रे-III(सा.)	मंडल कार्यालय नलगोंडा	1st	6000/-
16.	सुमित कुमार सिन्हा, प्रबंधक (संचालन)	मंडल कार्यालय नलगोंडा	1st	6000/-
17.	एम शिरीसा स.श्रे-III(लेखा)	मंडल कार्यालय नलगोंडा	2nd	5500/
18.	जीगिरिश्मा . स.श्रे-III(सा.)	मंडल कार्यालय नलगोंडा	2nd	5500/
19.	एम संध्या ., स.श्रे-III(डिपो)	मंडल कार्यालय नलगोंडा	2nd	5500/

मंडल कार्यालय निज़ामाबाद				
20.	कर्री गायत्री, स.श्रे. III(सा)	मंडल कार्यालय निज़ामाबाद	1st	6000/-
21.	एम जी गायत्री, स.श्रे. III (तकनीकी)	मंडल कार्यालय निज़ामाबाद	1st	6000/-
22.	एस बी सिरीशा,, स.श्रे. I(तकनीकी)	मंडल कार्यालय निज़ामाबाद	2nd	5500/
23.	अंगोला दिनेश,, स.श्रे. II(सा)	मंडल कार्यालय निज़ामाबाद	2nd	5500/
मंडल कार्यालय खम्मम				
24.	श्रीमती अकिति दिव्या स.श्रे.-I (लेखा)	मंडल कार्यालय खम्मम	1st	6000/-
25.	श्री गोटे वसंत साईकुमार स.श्रे.-III(तकनीकी)	मंडल कार्यालय खम्मम	1st	6000/-
मंडल कार्यालय करीमनगर				
26.	श्रीमती के. रजिता, स.श्रे. II(तक.)	मंडल कार्यालय करीमनगर	1st	6000/-
27.	श्री जी. दशरथ कुमार, स.श्रे. III(सा.)	मंडल कार्यालय करीमनगर	1st	6000/-
28.	श्रीमती सी.एच.तनुजा, स.श्रे. I(सा.)	मंडल कार्यालय करीमनगर	2nd	5500/
29.	श्री पी साई तेजा, स.श्रे. III(सा.)	मंडल कार्यालय करीमनगर	2nd	5500/
मंडल कार्यालय सनतनगर				
30.	पी/करुणाश्री. सहा. श्रे.-III(तकनीकी)	मंडल कार्यालय सनतनगर	1st	6000/-
31.	एम नागा नीरजा सहा. श्रे.-I (सामान्य)	मंडल कार्यालय सनतनगर	1st	6000/-
32.	एस संजा रानी सहा. श्रे.-III (तकनीकी)	मंडल कार्यालय सनतनगर	2nd	5500/
33.	सी एच श्रावती सहा. श्रे.-III (तकनीकी)	मंडल कार्यालय सनतनगर	2nd	5500/



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) हैदराबाद-सिकंदराबाद प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 की अवधि में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), क्षेत्रीय कार्यालय को श्रेणी - 26 से 200 कार्मिक के अंतर्गत "राजभाषा ट्रॉफी" के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29.05.2025

अनुराग
अनुराग कुमार ANURAG KUMAR
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CSMD
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Electronics Corporation of India Limited
हैदराबाद HYDERABAD-500 052
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)



Electronics Corporation of India Limited
HYDERABAD - 500 052
HYDRABAD - 500 052















नराकास (उपक्रम) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को "राजभाषा ट्रॉफी" के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया